**आज दिनांक–26.04.2016 को सचिव की अध्यक्षता में CWJC NO-------------/2016 राजेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य वाद से संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही :–**

**उपस्थिति :–**

1. श्री विनोद प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज
2. श्री गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (विधि शाखा)
3. श्री मनोज कुमार दास, सहायक शिक्षक, राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, किशनगंज।
4. श्री सुरेश सिंह, सहायक (स्थापना)

**कार्यवाहीः–**

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सेवांत लाभ संबंधी दायर वाद C.W.J.C. सं0–........ /2016 राजेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में समीक्षा की गयी।

2. समीक्षा कम में यह ज्ञात हुआ कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक शिक्षक, राजकीय अनु0 जाति आवासीय उच्च विद्यालय, किशनगंज के द्वारा दिनांक–30.06.2003 को सेवा निवृति के पश्चात् आज तक सेवांत लाभ यथा– पेंशन, उपादान, ग्रुप बीमा, सामान्य भविष्य निधि की अंतिम निकासी कर भुगतान नहीं किये जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. सं0–......../2016 राजेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद दायर किया गया है, जिसमें सचिव/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना एवं उप निदेशक कल्याण, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ को प्रतिवादी बनाया गया है। वादी द्वारा दायर वाद में सेवा निवृति की तिथि से अद्यतन ब्याज सहित सभी सेवांत लाभ का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपर्युक्त वाद में उठाये गये बिन्दुओं पर बैठक में उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा यह बताया गया कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक शिक्षक, राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, किशनगंज को सेवा निवृत्ति की तिथि 30.06.2003 के पश्चात् प्रधानाध्यापक, राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, किशनगंज के द्वारा अलग विपत्र तैयार कर उपादान, ग्रुप बीमा, उपार्जित अवकाश, भविष्य निधि की राशि का भुगतान श्री सिंह को किया गया है जिसके पक्ष में साक्ष्य विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा यह भी बताया गया कि श्री सिंह को सभी सेवांत लाभ का भुगतान देने के पश्चात् औपबंधिक पेंशन का भी अप्रैल, 2006 तक भुगतान किया गया है किन्तु श्री सिंह के द्वारा नियमानुसार पेंशन स्वीकृति हेतु अपेक्षित पेंशन कागजात स्वयं हस्ताक्षर कर कार्यालय में जमा नहीं किये जाने के कारण औपबंधिक पेंशन का भुगतान बाध्य होकर बंद कर दिया गया।

4. जिला पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा " दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान " में विज्ञापन प्रकाशन कराकर श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक शिक्षक को 10.01.2004 तक पेंशन पेपर जमा करने हेतु निदेश दिया गया था। इसके बावजूद अभी तक वादी द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेपर/कागजात जमा नहीं किया गया और बारंबार आवेदन देकर एवं विभिन्न तिथियों को कार्यालय में उपस्थित होकर पेंशन कागजात जमा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। वर्तमान में वादी द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेपर जमा करने हेतु दिनांक 02.05.2016 तक का समय स्वयं आवेदन के माध्यम से देते हुए अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है।

5. उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं पर समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि रिट याचिका में उठाये गये बिन्दु पर कंडिकावार तथ्य विवरणी तैयार कराकर जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिशपथ पत्र दायर करेंगें तथा दायर प्रतिशपथ पत्र की प्रति विभाग को शीघ्र समर्पित करेंगे।

जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को एक बार पुनः श्री सिंह से सम्पर्क कर पेंशन कागजात हस्ताक्षर सहित प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

6 समीक्षा के कम में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक शिक्षक (सेवानिवृत्त), राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, किशनगंज के सेवांत लाभ के बारे में जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि यह मामला वर्ष 2003 का है। जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर 14 जुलाई, 2014 से पदस्थापित हूँ, जिसके कारण मामले की पूर्ण जानकारी नहीं है। जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज से यह जिज्ञासा की गयी कि इस मामले की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने कार्यालय में कितनी बार समीक्षा अब तक की गयी है जिसका उत्तर जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा संतोषजनक ढंग से नहीं दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा यह भी बताया गया कि ससमय संचिका कार्यालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नहीं उपस्थापित किया गया।

7. इस मामले में की गयी लापरवाही के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज तथा संबंधित सहायक, जिला कल्याण कार्यालय, किशनगंज जिनके द्वारा समय पर संचिका का उपस्थापन नहीं किया गया है से कारणपृच्छा पूछने का निदेश दिया गया तथा संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।

8. जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा श्री मनोज कुमार दास, सहायक शिक्षक, राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, किशनगंज को मुख्यालय बिना अनुमति लाने एवं सचिव कक्ष में बिना अनुमति उपस्थित रहने के मामले को गंभीरता से लेते हुए भविष्य में किसी कर्मी को अपने साथ नहीं लाने की हिदायत देते हुए इसका अनुपालन का निदेश दिया गया।

27.4.16
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 2/ क्षे० मुकदमा 70–02/2016 – 3784 पटना, दिनांक– 28/4/16

प्रतिलिपि– जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज/उपनिदेशक, कल्याण, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक– 2/ क्षे० मुकदमा 70–02/2016– 3784 पटना, दिनांक– 28/4/16

प्रतिलिपि– निदेशक के निजी सहायक/संयुक्त सचिव/उप सचिव/उप निदेशक (मु0)/ अवर सचिव (क्षेत्रीय स्थापना), अनु0 जा0 एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– सुश्री रजनीबाला, आईटी मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक